न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 14/2018

1 गोपाल (मृत)।
1/1 सरदारमल पुत्र गोपाल।
1/2 दुलीचन्द पुत्र गोपाल।
1/3 हजारीलाल पुत्र गोपाल।
1/4 बीरबल पुत्र गोपाल।
1/5 कैलाश पुत्र गोपाल समस्त जाति सैनी निवासीगण ढ़ाणी मालियों की तन भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/6 श्रीमती मिश्री देवी पुत्री गोपाल पत्नी फुलचन्द सैनी निवासी मावण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/7 श्रीमती सीमा पुत्री गोपाल पत्नी बलराम सैनी निवासी जीलो तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/8 आंची पुत्री गोपाल पत्नी मोठूराम सैनी निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/9 नानची पुत्री गोपाल पत्नी पूर्णमल सैनी निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/10 श्रीमती सुमित्रा पुत्री गोपाल पत्नी हरीराम सैनी निवासी जीलो तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/11 श्रीमती गुलाबी देवी बेवा गोपाल जाति सैनी निवासी ढ़ाणी मालियो की तन भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सूणा पुत्र बल्ला जाति जाट निवासी ढ़ाणी मालियो की तन ग्राम भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 19.01.2018 बसिलसिले मुकदमा अनुवानी सूणा बनाम गोपाल आदि प्रार्थना पत्र नं. 261/2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 261/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 19.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में खसरा नम्बर 1354/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर अवस्थित है जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु अपीलांट/ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1354/4 रकबा 0.29

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हैक्टेयर तन ग्राम भुदोली तहसील नीमकाथाना है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 1354/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर में आने जाने के लिए अपीलार्थी/अप्रार्थी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1354/4 की पूर्व से पश्चिम 72 मीटर एवं उतर से दक्षिण 4.57 मीटर चौड़ा रास्ता कुल 330 मीटर रास्ता चाहा गया है चाहे गये रास्ता का अंकन संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है चाहे गये रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नही है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपने खेत में पहुचने हेतु अपीलार्थी/अप्रार्थी की भूमि मे से बताये गये उपरोक्त वर्णित रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है उक्त रास्ते के बिना रेस्पोडेंट/प्रार्थी अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगा तथा यह प्रार्थना पत्र हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुये खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के लिए पहुचने बाबत वांछनीय एक मात्र रास्ते के सम्बंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रखा है। उक्त आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलार्थी जरिये वकील विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने अपने जवाब के बयान मजीद के बयान मजीद में अंकित प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान कृषि भूमि में आने जाने के एक मात्र रास्ता पहले मौजूद होने के बावजूद भी गलत प्रार्थना पत्र मौके के विपरित होने के खारिज करने की प्रार्थना की। रेस्पोडेंट प्रार्थी सुणा के दोनो पुत्रो के मकान पश्चिम मुखी के मध्य से अपीलांट के खेत तक मौके पर भौतिक रूप से बने आवागमन के रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाना प्रार्थनीय है। रेस्पोडेंट सूणा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व से आम सड़क भूदोली नीमकाथाना खेतड़ी से जयपुर जाने वाली के पर्वू से ही 60 वर्ष से स्थित है एवं पूर्व पश्चिम रास्ता जिसके दोनो तरफ रेस्पोडेंट सूणा के दोनो पुत्रो के मकान के मध्य होकर काफी पुराना बना हुआ जिसको छुपाया जाकर गलत उपयोग करने की बदनियति से आवेदन प्रस्तुत किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
[illegible] राजस्व अपील [illegible]
सीकर

उक्त तथ्य की अनदेखी कर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.01.2018 को उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई गौर नही किया कि भूमि खसरा नम्बर 1354/4 के पूर्व में जो रास्ता है वह मौके पर चालू नही है केवल नक्शे में ही दर्शित है। आम सड़क भूदोली नीमकाथाना खेतड़ी से जयपुर जाने वाली सड़क के पूर्व पश्चिम रास्ता जिसके दोनो तरफ रेस्पोडेंट सूणा के दोनो पुत्रो के मकान के मध्य होकर के पूर्व से ही 60 वर्ष से काफी पुराना बना हुआ जिसको छुपाया जाकर गलत उपयोग करने की बदनियति से रेस्पोडेंट ने आवेदन प्रस्तुत किया है। आराजी खसरा नम्बर 1354/1 के पश्चिम में खसरा नम्बर 1351,1353 गोचर भूमि है जो थोई से नीमकाथाना रोड के लगती है क्योंकि रेस्पोडेंट का खेत खसरा नम्बर 1354/1 एवं 1354/3 है जिसके मध्य से पूर्व से रेस्पोडेंट का एक रास्ता बतलाया था। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1354/4 एवं खसरा नम्बर 1350 के मध्य जो मोटी डोल है वह मौके पर करीबन 15 फुट चौड़ाई में फैली हुई है जिसकी जगह आधी खसरा नम्बर 1350 मे से तथा आधी अपीलांट की भूमि मे से रास्ता रख सकते है परन्तु हल्का पटवारी ने इस तथ्य को छुपाते हुये अपनी मौका रिपोर्ट नज़री नक्शा में रास्ता दर्ज कर प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी कृषि भूमियो में सदैव आग सड़क भूदोली नीमकाथाना खेतड़ी से जयपुर जाने वाली से आते जाते रहे है एवं पूर्व पश्चिम रास्ता जिसके दोनो तरफ रेस्पोडेंट संख्या 1 सूणा के दोनो पुत्रो के मकान के मध्य से होकर काफी पुराना रास्ता बना हुआ है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के जवाब, आपत्ति एवं मौका रिपोर्ट पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आई.एल.आर. की मौका रिपोर्ट पर अपीलांट को सुनकर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इसमें अंकित है कि आवेदक द्वारा चाहे रास्ते में 648 वर्गमीटर भूमि आती है उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 798 रकबा 0.18 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क भुदोली से पीथमपुरी से खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.12 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ एवं खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से रास्ता मौके पर चालू है जो निकटतम रास्ता है जिनकी खातेदारी वन विभाग एवं चारागाह नाम दर्ज रिकार्ड है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि निकटतम रास्ता दिया जायेगा। मौका रिपोर्ट मे जब स्पष्ट अंकन है वैकल्पिक निकटतम रास्ता मौके पर चालु है तो विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से नया रास्ता देने का आदेश पारित करने में विधिक भूल की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। न्यायहित मे प्रार्थी रेस्पोडेंट को मौका रिपोर्ट में अंकित मौके पर चालु रास्ते के सन्दर्भ में नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने की छुट प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर